



उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-139/2026/1982/22-2-2025-17(1325)/2023
लखनऊ : दिनांक: 11 मार्च, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01 अगस्त 2018 एवं सपठित संशोधन विषयक शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी/2018, दिनांक 28.7.2021 तथा शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी/2018, दिनांक 27.05.2022 के प्रस्तर-12 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत शिक्षक दिवस (05 सितम्बर, 2025) के अवसर पर केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी शिवदयाल (बन्दी संख्या-20630) पुत्र श्री रंजीत, निवासी-मुन्नूखेड़ा, मजरा शाहपुर चमरहा, थाना-कासिमपुर जनपद-हरदोई, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-32/2005, भा०द०वि० की धारा-302, 376 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-03, हरदोई के आदेश दिनांक 31.08.2006 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ के आदेश दिनांक-01.12.2008 द्वारा निर्णीत करते हुये उक्त सजा को यथावत रखा गया, बन्दी द्वारा दिनांक 07.08.2025 तक अपरिहार 20 वर्ष, 10 माह, 07 दिन एवं सपरिहार 26 वर्ष, 05 माह, 11 दिन की सजा भोगी गयी है तथा जेल आचरण सन्तोषजनक है, की शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरुद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में विधि सम्मत आचरण एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए रुपये 50000/- (रुपये पचास हजार मात्र) से अनधिक धनराशि का एक निजी मुचलका अपने सम्बन्धित कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक को प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-139/2026/1982(1)/22-2-2025 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, 30प्र0, लखनऊ।
- 2- जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई।
- 3- पुलिस अधीक्षक, हरदोई।
- 4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
- 5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार, गाजियाबाद को मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि०) सं०-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन(क्रिमि०) सं०-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
- 6- निजी सचिव, मा० मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, 30प्र0 शासन को मा० मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 7- निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, 30प्र0 शासन को मा० राज्य मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 8- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।